BSES

बिजली चोरी मामलों के लिए मेगा *लोक अदालत*

11 व 12 दिसंबर को हाई कोर्ट में लगेंगी 20 लोक अदालतें

नई दिल्लीः 7 दिसंबर, 2010। बीएसईएस राजधानी और बीएसईएस यमुना के उपभोक्ताओं के बिजली चोरी संबंधी मामलों को निपटाने के लिए मेगा *लोक अदालत* का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन 11 व 12 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट परिसर में होगा। *दिल्ली हाई कोर्ट कानूनी सेवा समिति* के सहयोग से लोक अदालत आयोजित की जा रही है। इस अदालत में उपभोक्ताओं के बिजली चोरी से संबंधित मामलों का मौके पर ही निपटारा किया जाएगा। कटिया डालकर की जाने वाली चोरी हो, या मीटर के साथ छेड़छाड़ कर की जाने वाली चोरी– दोनों तरह के मामलों का यहां निपटारा होगा। खास बात यह है कि इस बार जुर्माने की राशि चाहे कितनी बड़ी ही क्यों न हो, लोक अदालत में ये मामले निपटाए जा सकेंगे। उल्लेखनीय है कि अब तक लोक अदालतों में अधिकतम 5 लाख रूपये तक की बिजली चोरी के मामले ही सुलझाए जाते थे।

बिजली चोरी के जो मामले किसी अदालत में नहीं चल रहे हैं, उन्हें तो यहां निपटाया ही जाएगा, साथ ही ऐसे मामलों को भी सुलझाया जाएगा, जो अन्य अदालतों में लंबित पड़े हैं और जिनका निपटारा अभी तक नहीं हुआ है। लोक अदालत 11 व 12 दिंसबर को हाई कोर्ट परिसर में, सुबह 10 बजे शुरू होगी। अपने मामले सुलझाने के इच्छुक उपभोक्ताओं से अपील की जाती है कि वे या तो व्यक्तिगत रूप से लोक अदालत में उपस्थित हों, या फिर अपने वकील या अधिकृत प्रतिनिधि को भी वहां भेज सकते हैं। पहचान पत्र और जुर्माने/चालान का बिल लाना आवश्यक है।

उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए हाई कार्ट परिसर में 20 अदालतें लगाई जाएंगी, जहां बीआरपीएल और बीवाईपीएल उपभोक्ताओं के बिजली चोरी मामलों का निपटारा किया जाएगा। बीएसईएस के 12 हेल्पडेस्क उपभोक्ताओं की मदद के लिए तैनात रहेंगे, ताकि मामले के निपटारे के लिए आए लोगों को परेशानी न हो। बीएसईएस की यह लोक अदालत पूरी तरह से पर्यावरण–अनुकूल है।

उपभोक्ताओं से संबंधित पूरा का पूरा डेटा वहां 30 कंप्यूटरों में उपलब्ध होगा, और फाइलों व कागज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यह दो दिवसीय लोक अदालत पेपरलेस होगी, जिससे करीब 70 हजार ए4 साइज कागज बचेंगे, और इस तरह 9 पूर्ण विकसित पेड़ कटने से बच जाएंगे।

इस लोक अदालत में दोनों तरह के मामले निपटाए जाएंगे। बिजली चोरी के आम मामलों के अलावा, उन मामलों को भी यहां निपटाया जाएगा, जो पहले से ही किसी अदालत में चल रहे हैं। पहले 5 लाख रूपये तक के जुर्माने के मामलों को निपटाया जाता था, लेकिन इस बार ऐसी कोई सीमा नहीं रखी गई है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लोक अदालत का लाभ मिल सके।

बिजली चोरी के मामलों में शामिल उपभोक्ताओं को लोक अदालत के बारे में सूचित करने के लिए बीएसईएस कंपनियों ने एक ओर जहां पत्र भेजे हैं, वहीं दूसरी ओर लोकप्रिय एफएम चैनलों पर भी सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं। बीएसईएस ने दक्षिण, पश्चिम, पूर्व और मध्य दिल्ली के उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे लोक अदालत में अपने बिजली चोरी के मामलों का निपटारा करवाएं। इससे उनके पैसे और समय की बचत होगी। साथ ही, अदालतों पर से मुकदमों का बोझ भी कम होगा। मामले के निपटारे के बाद उपभोक्ताओं को जुर्माने की तय राशि का भुगतान करने के लिए पर्याप्त वक्त दिया जाएगा। भुगतान होते ही, नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी दे दिया जाएगा। याद रखें, जुर्माने की राशि का भुगतान सिर्फ तय बीएसईएस एन्फोर्समेंट ऑफिस में ही करें।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: प्रशान्त दुआ
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस– 39999870 / 9312007822

चंद्र पी कामत
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस– 39999642 / 9350130304